राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 13 DEC 2021

–:मार्गदर्शन:–

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत विभिन्न निकायों द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन के क्रम में विभिन्न प्रकरणों में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :–

(1) विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 02.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:

भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14 ए (नीलामी के भूखण्डों में पुर्नग्रहण राशि)

निकाय द्वारा दिनांक 15.01.2002 से दिनांक 20.08.2015 से पूर्व तक नीलाम किये गये भूखण्डों में पुर्नग्रहण राशि की गणना कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात से आरम्भ की जाकर, उक्त राशि की गणना दिनांक 20.08.2015 की आरक्षित दर की 2.5% राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक की जाकर राशि ली जावे।

(2) कृषि भूमि के एकल पट्टों/पट्टे में हिस्सेदारी के संबंध में :

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत पट्टे के आवेदन में एक से अधिक खातेदार होने एवं उनका हिस्सा/स्वामित्व समान नहीं होकर पृथक–पृथक होने पर संबंधित निकाय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सभी खातेदारों व उनके हिस्से की राजस्व रिकॉर्ड के अनुपात में ही हिस्सेदारी अंकित कर एकल पट्टा/पट्टा जारी किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamS